छानबीन करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बिहार राज्य सरकार को भेज दिया गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Silting of Dams in Orissa

635. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have examined the sitting of sand, stone and other meterials in reservoirs of various dams in Orissa particularly Hirakud Dam; and

(b) what remedial measures are being taken to clear the silting?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) As per the last hydrographic survey conducted by Hirakud Research Station, Government of Orissa during 1983-86, the total loss of live storage capacity of Hirakud Dam in 30 years was estimated to be about 18.3%. In order to reduce the sedimentation rate of reservoir, catchments of Hirakud, Mechkund, Sileru, Rengali and Mandira reservoirs are covered under the Centrally Sponsored Scheme of soil conservation in the catchments of river valley projects operated by the Ministry of Agriculture.

Moderation Committee of Kendriya Vidyalayas

636. SHRI GOVIND RAM MIRI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Moderation Committee of Kendriya Vidyalayas can review the marks given by subject teacher of plus two stage without consent of the concerned subject teacher;

(b) if so, the details of relevant provisions;

(c) whether Moderation Committee constituted for an academic session can review the marks obtained by the students in the examinations held in previous session;

(d) if so, the details of such provisions and instances where such steps have been resorted to with regard to the examinations of 1994-95 in respect of Kendriya Vidyalayas of Lucknow ragions; and

(e) if not, what action has been taken/ initiated/contemplated against the Members of the erring Moderation Committee?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE (KUMARI SELJA): (a) to (c) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has informed that, as per Article 119 of the Education Code of KVS, each Vidyalaya has set up a Moderation Committee to prepare guidelines for paper setters for tests, examinations, to decide weightage for instructional objectives, nature of questions to be set and marking procedure to be adopted, to moderate test papers/items set by the examinars, to check sample scripts to ensure uniformity and to decide marginal and other difficult cases before announcement of the results.

At + 2 stage for class-XI the evaluation is done at Vidyalaya level and moderation committee functions in the light of the provisions of the Education Code.

(d) and (e) Details are being collected from the Regional Office, Lucknow and will be laid on the table of the House.

ग्रामीण युवाओं के विकास हेतु कार्यक्रम

637. **श्री अजीत जोगी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय समाज सेवा और अन्य स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से ग्रामीण युवाओं के

विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) उस पर कुल कितना व्यय किए जाने का विचार है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण युवा कहां तक लाभान्वित होंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) जी, नहीं। इस समय राष्ट्रीय समाज सेवा और अन्य स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से ग्रामीण युवाओं के विकास हेतु कोई नया व्यापक कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन नहीं है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं पहले ही चलाई जा रही हैं। निरंतर रूप से चलने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)**

(ख) से (घ) से प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन०वाई०के० एस०): ग्रामीण छात्र भिन्न युवाओं को राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में भाग लेने और साथ-साथ उनको अपनी व्यक्तित्व और दक्षता का विकास करने के लिए सुअवसर उपलब्ध कराना।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०): यह सामुदायिक सेवा और छात्रों के व्यक्तित्व के विकास हेतु काफी विस्तृत युवा कार्यक्रम है। इस योजना में मुख्य ध्यान एच०आई०वी०/एड्स और नशाखोरी के खिलाफ शिक्षा संबंधी जागृति, चहुंमुखी विकास के लिए गांवों को अपनाना पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकीकरण पर दिया गया है।

3. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना (एन०एस०वी०एस०): विशेषतौर पर ऐसे युवाओं को सुअवसर उपलब्ध कराना जिन्होंने अपनी प्रथम डिग्री हासिल कर ली है ताकि किसी खास अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर राष्ट्र निर्माण संबंधी गतिविधियों में स्वेच्छा से अपना योगदान दे सकें।

4. युवा क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना: स्वैच्छिक संगठनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और इसका उद्देश्य ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित करना है जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें।

5. युवा प्रशिक्षण: इस योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, नेहरू युवा केन्द्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को स्वरोजगार और बेहतर नियोजन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जरूरतों और प्रतिभा पर आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

6. पिछड़ी जनजाति के युवाओं के बीच युवा कार्यकलापों के संवर्धन के लिए विशेष योजना: इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स और गाइड्स और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, व्यवसायिक प्रशिक्षण, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण, अंतरराज्य युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम और प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। ताकि जनजातीय युवाओं का उनकी आवश्यकताओं और क्षमता के आधार पर विकास किया जा सके।

7. राष्ट्रीय एकीकरण: इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को राष्ट्रीय एकीकरण और साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

8. युवा क्लबों को सहायता: देश में युवा क्लब अभियान को एक नयी दिशा देने के लिए नव स्थापित युवा क्लबों को 5,000/- रुपये तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

9. साहसिक कार्यकलापों का संवर्धन: इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों, नेहरू युवा केन्द्रों, शैक्षिक संस्थाओं और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को साहसिक कार्यकलाप शुरू करने और युवाओं को साहसिक कार्यकलाप शुरू करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

10. युवाओं के लिए प्रदर्शनियां: इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों, नेहरू युवा केन्द्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना, विश्वविद्यालय सहित शैक्षिक संस्थाओं और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को युवाओं

के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

11. युवा विकास केन्द्र: प्रत्येक युवा विकास केन्द्र को, ग्रामीण युवाओं को, विकास और मनोरंजन संबंधी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 30,000/- रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

Representation of the Delhi Rent Bill

638. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether an all party delegation led by Chief Minister of Delhi, Shri Madan Lal Khurana had met her to represent on the Delhi Rent Bill; and

(b) if so, the details and the demands raised by them and Government's response thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) The delegation had submitted the recommendations of an all-party committee suggesting amendments to certain provisions of the Delhi Bill, 1995 relating mainly to deemed rent, registration of tenancy agreement, inheritability of tenancy, rate of enhancement of rent and recovery of possession of premises. This bill has already been passed by both houses of Parliament and is presently awaiting the assent of the President.

Central Cattle Breeding Farms

639. SHRI PRAGADA KOTAIAH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the steps/measures envisaged for large scale breeding of bulls in the Central Cattle Breeding Farms;

(b) whether scientific methods are used for such breeding and if so the details thereof; and

(c) the other details of the National Bull Production Programme and the extent to which the objective have been achieved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) Large scale breeding of cattle is made possible by introducing frozen semen facilities in the Central Cattle Breeding Farms. Scientific methods of processing and freezing semen and embryo transfer are adopted.

(c) The National Bull Production Programme is able to meet with its objective through its different components such as Associated Herd Progeny Testing Programme, Conservation of threatened cattle breeds and development of indigenous draught breeds, introduction of embryo transfer technology and mass castration of scrub bulls.

Target for the Production of Foodgrains

640. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the target set for the production of foodgrains during the Eighth Five Year plan;

(b) the achievements made in this regard so far; and

(c) the special measures being taken or proposed to be taken to achieve the target set for the Eighth Five Year Plan?